



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/06/10/2017/एफ.सी./10

दिनांक: 02.04.2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इस्टीमेशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16889/2015

विषय Diversion of 6.86 ha. of forest land in favour of Public Work Department, Sawai Madhopur for widening, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur- Shiyपुरi road (SH-30) km. 82/700 to 93/390 at Tehsil and District Swai Madhopur with felling of 166 nos of trees- reg.

सन्दर्भ: अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान का पत्रांक- एफ14 ()/2015/एफ०सी०ए०/प्रमुवसं/468, दिनांक-20.02.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान शासन का पत्रांक-एफ14()2015/एफसीए/प्रमुवसं/1423, दिनांक-19.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.10.2017 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालना शासन सचिव, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 6.86 हे० संरक्षित वनभूमि का 166 वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 13.72 हे० (6.86 x 2= 13.72) हे० पर 600 वृक्ष प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
4. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभागीय निदेशक के वचनबद्धता के अनुसार मक डिस्पोजल वन क्षेत्र में निरस्तापित नहीं किया जायेगा, इसको सुनिश्चित करें।
6. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर०सी०सी० पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

143
10.4.19

rcf (fca)
5/4/19

जयपुर
5/4/19

4/4/19

7. आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विभाग, द्वितीय, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

221

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS**

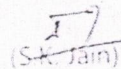
No.F.1 (46) Forest/2016

Jaipur, dated: **27 MAY 2019**

ORDER

Ministry of Environment, Forests & Climate Change, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No. F.No. 8B/Raj/06/10/2017/F.C/10 dated 02.04.2019 has conveyed its approval for diversion of 6.86 ha. forest land with felling of 166 trees for Widening, Strengthening and Reconstruction of Sawai Madhopur road (SH30) KM 82/700 to 93/390 at Tehsil and District Sawai Madhopur in the State of Rajasthan. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords its approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions :-

1. The conditions imposed by MoEF&CC, Govt. in their forest clearance dated 02.04.2019 will be complied with by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance is mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, Govt.
3. The project proponent should publish in verbatim the entire forest clearances granted along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers, one in Hindi and the other in English language, so as to make people aware of the permission granted to the project proponents for use of forest land for non-forestry purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn have to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.


(S.K. Jain)

Secretary, Forests

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Additional Chief Secretary, Public Works Department, Government of Rajasthan
2. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
3. Addl. PCCF (Central), Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
4. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
5. Additional Director General(FC), Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003
6. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.